

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. Memo

Dated 22-02-2022


To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.595 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department Uttarakhand for Swarka band to Baniyas Motoro in Block Karanprayag, District Chamoli falls within jurisdiction of Swarka, Kalakot and linked Village Baniyas.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.595 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23 (A).
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर


District Social Welfare Officer
Chamoli


Himanshu Khurana
District Magistrate
Chamoli (Uttarakhand)
जिलाधिकारी
चमोली

प्राप्त - 30.1

93

ANNEXURE....


OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR,
DISTRICT CHAMOLI (UK.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district (Uttarakhand), constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mrs. Himanshu Khurana I.A.S District Magistrate Chamoli (Uttarakhand) on date 22-02-2022 at time 13:00 hrs in which application claiming rights in Village Swarka, Chulakot & Ratura of Tehsil karanprayag area measuring 0.595 hect for the Swarka Band to Baniyas Motor road in Block Karanprayag, District Chamoli of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:
Dated: 22-02-2022


प्रभागीय वनाधिकारी
बट्टीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर


Himanshu Khurana
District Magistrate
Chairman, District Level
Committee, Chamoli
जिनाधिकारी
चमोजी

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्का बैण्ड से
हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग
बनियास तक नव निर्माण का कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, _____
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, _____

उपखण्ड _____ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत
सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम
कलाकोट होते हुए स्वीकृत मार्ग बनियास तक नव निर्माण का कार्य हेतु (0.350 हे० सिविल एवं
0.245 हे० वन भूमि अर्थात् कुल 0.595 हे० वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष
में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की
मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कर्णप्रयाग) की दिनांक
20/09/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री
सत्योष कुमार पांडेय उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में
आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सत्योष कुमार पांडेय उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री वीरेंद्र प्रसाद वन क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्राधिकारी सदस्य
- 3- श्री संदीप वैद्य सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव
- 4- श्री प्रमोद देवी वनाधिकार समिति सदस्य
- 5- श्री अमिता रंजना वनाधिकार समिति सदस्य
- 6- श्री विजय लाल वनाधिकार समिति सदस्य
- 7- श्री अमिता रंजना वनाधिकार समिति सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की
अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि स्वर्का
बैण्ड से बनियास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य परियोजना हेतु 0.595 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा
गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम
सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा
की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, ————— द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड ————— परिक्षेत्र के अन्तर्गत स्वर्का वैण्ड से बनियास तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.595 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

Li

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Li
20/11/21

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- कर्णप्रयाग
जनपद-चमोली